

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्र.डी.ओ/2025/ 629
प्रार्थी

1 कमल सिंह पुत्र प्रताप सिंह
राजपूत निवासी महादेव नगर,
पटवार हल्का नांद तहसील व
जिला बाड़मेर

बनाम


दिनांक - 12.02.25
अप्रार्थीगण
1 अगर कंवर पत्नी उत्तम सिंह 2 अगर सिंह पुत्र चिमन सिंह 3
अगरी पत्नी उत्तम सिंह 4 अर्जुन सिंह पुत्र भंवर सिंह 5 गंगा
कंवर पत्नी अगर सिंह 6 गेमार सिंह पुत्र भंवर सिंह 7 गिरधर
सिंह पुत्र उत्तम सिंह 8 गोपसिंह पुत्र भंवर सिंह 9 चाकू कंवर
पत्नी प्रताप सिंह 10 जगमाल सिंह पुत्र वगतावर सिंह 11 जडाव
कंवर पत्नी सवाई सिंह 12 दानसिंह पुत्र वगतावर सिंह 13 प्रताप
सिंह पुत्र चिमन सिंह 14 भूरसिंह पुत्र वगतावर सिंह 15 लक्ष्मी
पत्नी गोपसिंह 16 लीला कंवर पत्नी अर्जुन सिंह 17 सवाई सिंह
पुत्र उत्तम सिंह 18 सहकंवर पत्नी प्रताप सिंह 19 हीरो कंवर
पत्नी गिरधरसिंह जातियान राजपूत 20 आम्बाराम पुत्र पदमाराम
21 चिमू पत्नी पदमाराम 22 उतमाराम पुत्र जगाराम 23 सवाई
राम पुत्र जगाराम 24 हरुराम पुत्र सुरताराम 25 चनणाराम 26
रामचन्द 27 हरुराम पिसरान खेताराम जातियान जाट महादेव
नगर, पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर 28
तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 725/2024

दिनांक-06/02/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र नान्द तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 762/429 रकबा 5.0343 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ वक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2025/ 630-33

दिनांक- 12.02.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नान्द तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण कमल सिंह पुत्र प्रताप सिंह राजपूत निवासी महादेव नगर, पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अगर कंवर पत्नी उत्तम सिंह जाति राजपूत, निवासी महादेव नगर, पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर।




उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर